बिहार विधान परिषद्

186वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 3

बुधवार, तिथि — 01 भाद्र, 1939 (श.) / 23 अगस्त, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 15

1.	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	07
2.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	03
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	04
4.	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	-	-	01
			कुल योग	– 15

नाला चालू कबतक

10. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत क्रांति मार्ग (हार्डिंग रोड) मुख्य सड़क के किनारे वर्षों से निर्मित नाला चालू नहीं रहने से बारिश होने पर काफी बदबू आती है;

(ख) क्या यह सही है कि रात के अंधेरे में कभी-कभी इस नाले में मृत पशुओं अथवा टैंकरों से मैला भी गिरा दिया जाता है जिससे आवासीय परिसर में रहना दुश्वार हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस नाला को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई

11. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मोतिहारी पिपराकोठी कोटवा एवं वजरीया प्रखंड में सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों तक बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि. के पत्रांक 6516, दिनांक 26.05.2016 के आलोक में डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न परिवहन एवं पालन हेतु परिवार सह आपूर्ति अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखंडों में इनके द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाव कर कालाबाजारी कर गरीब बी.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्न मुहैया नहीं हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के डोर स्टेप डिलीवरी हेतु परिवहन सह आपूर्तिकर्ता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी हेतु अवैध बिक्री कर दिया जाता है, इस अवैध कार्य में लिप्त पदाधिकारियों के साथ-साथ परिवहन सह आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्ट्रीट लाइट, कूड़ादान एवं सड़क की मरम्मती

12. **श्री केदारनाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेली रोड, पटना स्थित महावीर मंदिर, राजवंशी नगर से गांधी मूर्ति, पूर्वी पटेल नगर तक जाने वाली सड़क में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि गांधी मूर्ति, पूर्वी पटेल नगर के नजदीक एक भी कूड़ादान नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि गांधी मूर्ति, पूर्वी पटेल नगर और ऊर्जा पार्क अत्यंत जर्जर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्ट्रीट लाइट, कूड़ादान और सड़क की मरम्मती की व्यवस्था कबतक सुनिश्चित करेगी?

यातायात सुगम कबतक

13. **श्री दिनेश प्रसाद सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन रोड के किनारे के फ्लक पर अवैध रूप से दुकानें लगा दिये जाने के कारण सड़क जाम हो जाती है और यातायात बाधित रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि अवैध रूप से लगाये गये दुकानों को कभी-कभी प्रशासन द्वारा हटाया जाता है परंतु एक घंटा के अंदर पुन: दुकानें लगा दी जाती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध रूप से लगाये गये दुकानों को स्थायी रूप से हटाकर यातायात सुगम बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भूमिहीन महादलित को भूमि नहीं

14. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार महादलित विकास योजनान्तर्गत कुल 1,99,732 वासभूमि रहित महादलित परिवारों के विरुद्ध 1,69,323 वासभूमि रहित परिवारों को लगभग 5 हजार एकड़ भूमि पटना, नालन्दा, नवादा, मुंगेर, बेगूसराय सहित अन्य जिलों में उपलब्ध करायी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में प्रथम सर्वेक्षण के दौरान छूट गये अथवा उसके उपरांत वयस्क होकर पृथक परिवारों की संख्या में काफी बढोतरी हुई है जिसकी गणना नहीं हो सकी है और न ही उनके लिए (शेष लोगों के लिए) भूमि उपलब्ध करायी जा सकी है जिससे शेष महादलित परिवार गृहविहीन हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के शेष भूमिहीन महादलित परिवारों की भी गणना कराकर भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

15. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम क्षेत्र के सैदपुर मुहल्ले के निवासी पेयजल की समस्या से वर्षों से जूझ रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सैदपुर मुहल्ले में जलापूर्ति पाइप जर्जर होने के कारण गंदे पानी की आपूर्ति होती है जो किसी उपयोग लायक नहीं रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि वहां के निवासियों को पीने के पानी के लिए दूर-दूर तक घंटों भटकना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र जर्जर पाइप लाइन को बदलकर सैदपुर मुहल्लावासियों को शुद्ध पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दोषियों को दंड

16. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर प्रखंड के परिवहन अभिकर्ता, अशोक कुमार वर्ष 2016 से विभागीय खाद्यान्न सामग्री का परिवहन करवा रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त परिवहन अभिकर्ता पर मजदूर एवं गाड़ी मालिक का पांच लाख रुपये से अधिक का बकाया है जिसके कारण मजदूरों के परिवार के पोषण पर कुप्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग एवं परिवहन अभिकर्ता के बीच हुए इकरारनामा का यह स्पष्टत: उल्लंघन है परन्तु विभागीय अधिकारियों एवं परिवहन अभिकर्ता के बीच सांठगांठ के कारण मजदूर भूखों मर रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस विषय की जांच कराकर मजदूरों एवं गाड़ी मालिक का भुगतान सुनिश्चित करवाना चाहती है तथा दोषी व्यक्तियों को नियमानुसार दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भवन का निर्माण

17. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र भवन बनाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रत्येक चरण में 101 प्रखंडों में ऐसे भवन बनाने की स्वीकृति दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन भवनों के निर्माण की अग्रतर जानकारी देना चाहती है, यदि हां तो क्यों?

अविलम्ब कार्रवाई

18. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी के पुराने प्रतिष्ठित बुद्ध मूर्ति, न्यू एरिया, कदमकुआं में जल-जमाव के कारण यहां के निवासी विगत कई वर्षों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि नए नाले के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे दूसरे क्षेत्र का पानी भी आकर मुख्य मार्ग पर जमा होने लगा है और डेढ़ वर्ष में कार्य समाप्त ही नहीं हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि यहां पर प्राचीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा, राजकीय आयुर्वेद अस्पताल एवं कॉलेज, तिब्बी अस्पताल एवं कॉलेज तथा राजकीय नेत्रहीन विद्यालय के साथ-साथ मेरा आवास भी है, जिसके सामने मुख्य मार्ग पर 3 फीट तक जल-जमाव हो जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि अभी हल्की बारिश होने से ही उक्त स्थान चारों तरफ से जलमग्न हो गया है, जिससे यहां के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लोक मुख्य मार्ग पर आये नाले के गंदे पानी में पैदल चलने को मजबूर हैं;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यहां के निवासियों के जीवन को सुलभ बनाने हेतु इस पर अविलंब कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नियमानुसार कार्रवाई कबतक

19. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा शहर के राज परिसर की बड़ी चहारदिवारी के भीतर बनाई गई छोटी नहर पानी निकासी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जलस्रोत एवं जल संरक्षण की महत्वपूर्ण इकाई है और सरकारी सर्वे में इसका जिक्र जलस्रोत के रूप में ही दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि राज परिवार के कतिपय कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त नहर में मिट्टी भरकर इसे बेचने की कार्रवाई शुरू की गई, स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर जिला प्रशासन द्वारा धारा-144 लगा दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि तत्काल तो इसकी बिक्री बंद हो गई है लेकिन भू-माफिया इसे बेचने के लिए साम-दाम-दंड-भेद के तहत कार्रवाई करने को तत्पर हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण जलस्रोत, बिहार की एकमात्र ऐतिहासिक चहारदिवारी और सरकारी खतियान में दर्ज नहर की जमीन की बिक्री स्थायी रूप से रोकने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

नया खतियान कबतक

20. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1913-14 में सरकार के द्वारा भूमि का सर्वे कराकर खतियान तैयार किया गया है, जो अबतक लागू है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में वर्ष 1913-14 में कराये गये भूमि सर्वे द्वारा निर्मित लागू है;

(ग) क्या यह सही है कि खतियान में दर्ज बहुत से भूधारी मृत हो चुके हैं तथा दो-दो पीढ़ी गुजर चुका है परंतु खतियान में आज भी उन्हीं का नाम दर्ज है, जिसके कारण जमीनी विवाद काफी बढ़ गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिम चंपारण जिला की भूमि का सर्वे कराकर जनहित में नया खतियान बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

21. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत वनखंडी हनुमान मंदिर का धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा न्यास का गठन कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा अंचल अधिकारी, लखीसराय को बार-बार निदेश देने के बावजूद स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमित भूमि की नापी कराकर अतिक्रमण से मुक्त करने के संबंध में आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वनखंडी हनुमान मंदिर की अतिक्रमित भूमि को कबतक अतिक्रमण से मुक्त करना चाहती है?

जलमीनार चालू नहीं

22. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत रक्सौल नगरवासियों को शुद्ध पेयजल हेतु दो जलमीनार का निर्माण पहला शहर के वार्ड नं.-4 स्थित सुन्दरपुर एवं दूसरा अनुमंडल कार्यालय से सटे पूरब साइड में लगभग 10 वर्ष पहले कराया गया है जिनके निर्माण पर 8.92 करोड़ रु. खर्च किये गये, इसके बावजूद दोनों जल मीनारों से आजतक पानी नहीं निकला;

(ख) क्या यह सही है कि दोनों जलमीनारों की क्षमता डेढ़ लाख गैलन क्षमता वाला है, जिससे शहर के 60-70 हजार आबादी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाता, इनका निर्माण मुख्यमंत्री शहरी जलापूर्ति योजना के तहत हुआ है, रक्सौल के नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि नप प्रशासन को ये दोनों जलमीनार राज्य जल पर्षद द्वारा हस्तांतरित नहीं कराया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त दोनों जलमीनार को अबतक चालू नहीं कराने वाले पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

गोदामों की मरम्मती

23. **श्री केदारनाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के 23 राज्य खाद्य निगम के गोदामों की हालत दयनीय स्थिति में पहुंच गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि आर. ब्लॉक, पटना स्थित एस.एफ.सी. के गोदाम की सुरक्षा एवं कालाबाजारी पर निगरानी के लिए सी.सी.टी.वी. लगाया गया था, लेकिन वह कई महीनों से टूटा हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि आर. ब्लॉक स्थित गोदाम के तीन चौथाई हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य खाद्य निगम के गोदामों में अनाज का स्टॉक एवं स्टॉक रजिस्टर की जांच पी.डी.एस. दुकानों की जांच तथा अवैध कब्जा से मुक्त एवं गोदामों की आवश्यक मरम्मती का कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

शौचालय एवं यूरिनल की व्यवस्था

24. **श्री रामचनद्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में सार्वजनिक शौचालय एंव यूरिनल का घोर अभाव है;

(ख) क्या यह सही है कि सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल के अभाव में आम नागरिकों तथा राहगीरों को काफी असुविधा होती है;

(ग) क्या यह सही है कि सार्वजनिक शौचालय, यूरिनल तथा कचरा प्रबंधन की व्यवस्था के बगैर राजधानी पटना को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने की योजना पर प्रश्नचिन्ह लगा रहेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र राजधानी पटना में सार्वजनिक शौचालय, यूरिनल तथा कचरा प्रबंधन आदि की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 23 अगस्त, 2017